

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट / PMMVY / ICDS / 18 / 115789-821 जयपुर, दिनांक:
25-6-18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
(समस्त)

विषय:- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत प्रचार प्रसार हेतु बजट आवंटन वर्ष
2018-19 बाबत।

संदर्भ:- विभाग का पत्रांक 111366-403 दि. 15.6.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु प्रति जिला कार्यालय राशि 0.50 लाख (केन्द्रांश 0.30 लाख एवं राज्यांश 0.20 लाख) का निम्न लेखा शीर्ष में बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33

2236- पोषण

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101- विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से

[13]- सशर्त मातृत्व लाभ योजना

11- विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

60%

40%

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग के द्वारा योजना/गतिविधि क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार मैचिंग शेयर अनुपात में किया जाना सुनिश्चित करें।

MP
वित्तीय सहायकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट / PMMVY / ICDS / 18 / 115822-23 जयपुर, दिनांक:
25-6-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. राज्य प्रभारी अधिकारी (पीएमएमवीवाई), मुख्यालय को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

GM
वरिष्ठ लेखाधिकारी